कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ, नया रायपुर

इन्द्रावती भवन, प्रथम तल ब्लॉक नं.–02 नया रायपुर

::आदेश::

क्रमांक / 286 / आ.भू.अ. / स्था.–5 / 2016, कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक / 601 / आ.भू.अ. / स्था.5 / निःशक्तजन / बैकलॉग / 2016, नया रायपुर दिनांक 08.02.2016 के अनुसार आयुक्त भू–अभिलेख रायपुर में राजस्व निरीक्षक, के रिक्त निःशक्तजनों के बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्व निरीक्षक, के पद पर वेतनमान 5200–20200+2800 ग्रेड वेतन तथा समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कॉलम नम्बर 05 में अंकित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है।

राजस्व निरीक्षक

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	डा. टीना नागदेव	श्री नारायण दास नागदेव	अनारक्षित	आयुक्त भू–अभिलेख मुख्यालय नया रायपुर
2	श्री सतीश कश्यप	श्री जन्मेजय कश्यप	अ.पि.व.	आयुक्त भू–अभिलेख मुख्यालय नया रायपुर
3	श्री इन्द्रपाल	श्री करण सिंह	अ.ज.जा.	आयुक्त भू–अभिलेख मुख्यालय नया रायपुर

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रम में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम–1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व बकाया की भाति वसूली योग्य होगी।
4. संबंधित कर्मचारी की सेवाएं दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है, तथा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है संबंधित अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नही किया जावेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।
7. उपरोक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित 15 दिवस के भीतर उपस्थिति नही देने पर यह माना जावेगा कि ये पद पर नही आना चाहते है, उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–
   (अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा अंकसूची।
   (ब) उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र) साथ ही क्रीमी–लेयर में नही होने का प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
   (स) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र।
   (द) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण–पत्र ।
   (इ) रोजगार कार्यालय का प्रमाण–पत्र।
   (फ) स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं निःशक्तजन के प्रमाण पत्र हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
   (क) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग–पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
9. उपस्थिति के समय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। उपस्थिति के समय जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपस्थिति दिनांक से 30 दिन का समय दिया जावेगा। उसके पश्चात भी उम्मीद्वार द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
10. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन(चरित्र सत्यापन) प्रमाण–पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियां पायी जाती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
11. आरक्षित प्रवर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गयी जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर सेवा से पृथक किया जावेगा तथा संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
12. सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नही करेगें, और न किसी राजनैतिक क्रियाकलाप में भाग लेंगें।
13. उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता जारी नियुक्ति आदेश के क्रम में रहेगी।

14. नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012,593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संचालक
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ.क्रमांक/1985/आ.भू.अ./स्था.5/2016 नया रायपुर दिनांक 24/5/16

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला समस्त छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कोषालय अधिकारी, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. लेखा शाखा, मुख्यालय नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. स्थापना शाखा 5/गोपनीय शाखा/बजट/पदक्रम सूची शाखा मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
भू–अभिलेख
छत्तीसगढ़ नया रायपुर